

## भारतीय अल्प संख्यको को कुछ सुझाव

श्री बनवारी एक प्रसिद्ध विचारक हैं। उन्होंने जनसत्ता पन्द्रह मई पन्द्रह के एक लेख में इस्लाम और इसाइयत के विषय में ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के साथ वर्तमान को जोड़कर एक इमानदार व्याख्या प्रस्तुत की है। हम इस विषय टकराव के भारत पर पड़ने वाले प्रभाव तक सीमित रहकर आकलन करें। यदि हम भारतीय भाषा में चर्चा करें तो हिन्दुत्व का चिंतन, कार्यप्रणाली तथा समस्याओं के समाधान की प्रणाली में ब्राम्हण सोच अधिक पाई जाती है। जिसका अर्थ होता है तर्क और विचार मंथन को आधार बनाकर निर्णय। संघ परिवार, इस्लाम, सिख, आदि की कार्यप्रणाली क्षत्रिय प्रवृत्ति से अधिक जुड़ी हुई है। जिसका अर्थ होता है निर्णय करने में अन्य आधारों के साथ शक्ति प्रदर्शन को भी शामिल करना। जैन, इसाई, यहूदी आदि की प्रणाली वैश्य प्रणाली मानी जाती है। जिसका अर्थ होता है कूटनीति और धन के आधार पर फूट डालकर अपना पक्ष मजबूत करना। साम्यवादी प्रणाली को बुद्ध प्रणाली माना जाता है। जिसका अर्थ होता है सभी आधारों को त्याग कर एक मात्र बल प्रयोग से निर्णय। मैं स्पष्ट कर दूँ कि प्रवृत्ति के मामले में संघ परिवार इस्लाम के ज्यादा निकट है और बौद्धों के विषय में स्पष्ट नहीं है कि वे साम्यवाद से कितना निकट हैं कितने दूर।

जिस तरह इस्लाम विषय व्यवस्था के लिये एक चुनौती बना हुआ है उससे भी कई गुना अधिक वह भारत के लिये एक बड़ी समस्या बना हुआ है। सरसठ वर्षों तक वोट बैंक के रूप से पद लोलुप राजनेताओं को लालच देकर हिन्दुओं का बहुमत होते हुए भी उन्हें दूसरे दर्जे का नागरिक बनाये रखा। स्वतंत्रता के तत्काल बाद ही संघ परिवार ने अपनी मूर्खता से स्वयं को घृणा का पात्र बना लिया और इनकी मूर्खता का लाभ उठाकर ही अल्प संख्यक मुसलमानों ने नेहरू अम्बेडकर को अपना सहायक बना लिया। गांधी हत्या के बाद ही नेहरू अम्बेडकर और मुसलमानों की जुगलबंदी शुरू हो गई थी जो एक वर्ष पूर्व तक निर्वाध गति से चलती रही। जिस गति से दुनिया में मुसलमानों की जनसंख्या बढ़ी उससे भी ज्यादा तेज गति से भारत में इनकी आबादी बढ़ी क्योंकि नेहरू, अम्बेडकर ने हिन्दुओं पर एक हिन्दू कोडबिल थोपकर मुसलमानों को इस कानून से मुक्त कर दिया। भारत के दो पड़ोसियों में मुस्लिम बहुमत था लेकिन उन दोनों के ही मुसलमान भारत में खुलेआम प्रवेश करके हमारे नेहरू अम्बेडकर के वारिसों के लिये वोट बैंक बढ़ाने का काम करने लगे। संघ परिवार के प्रारंभिक कार्य इतने घृणास्पद थे कि आम हिन्दू ऐसे अत्याचार सहते हुए भी संघ परिवार के साथ नहीं जुड़ना चाहता था।

भारत के साथ एक और कोढ़ चिपका था और वह था कश्मीर। मैंने सुना है कि डॉ. भीमराव अम्बेडकर कश्मीर में धारा तीन सौ सत्तर के विरुद्ध थे किन्तु पण्डित नेहरू की जिद के सामने उन की एक न चली और कश्मीर को एक विशेष राज्य का दर्जा मिल गया। गीलामी सरीखे मुसलमान कश्मीर में पाकिस्तान का झण्डा फहराता है और पाकिस्तान जिन्दावाद के नारे लगवाता है और हजारों कश्मीरी मुसलमान छाती पीट पीट कर उसके साथ पाकिस्तान के पक्ष में चिल्लाते हैं तो मन में एक भाव आता है कि वहाँ एक बार नागासाकी हिरोशिमा जैसा बम पेंक कर निपटारा कर दें। मन में ऐसा बुरा भाव आने के बाद भी विवेक ऐसा प्रकट करने से रोकता है। मन में एक सवाल उठता है कि एक ओर तो बंगला देश अथवा पाकिस्तान निवासी मुसलमान भारत में चोरी छिपे घुसने के लिये लगातार कोषिष करते रहते हैं और कश्मीर के अतिरिक्त पेश भारत का मुसलमान धक्का देने के बाद भी भारत से पाकिस्तान जाना नहीं चाहता तो कश्मीर के मुसलमान को पाकिस्तान के प्रति इतना प्रेम क्यों हैं? स्पष्ट है कि न उन्हें पाकिस्तान से मतलब है न भारत से। उन्हें तो मतलब है भारत को दारुल हरब से हटाकर दारुल इस्लाम बनाने जैसा पुन्य कार्य में अपनी आहुति देकर जन्नत का रास्ता साफ करने मात्र से। सच बात यह है कि पूरी दुनिया धीरे-धीरे इस्लाम के इस षडयंत्र के प्रति सतर्क हो रही है और भारत भी ऐसे सतर्क देशों में से एक है। आज दुनिया भर में खान नाम को इतना संदेह से देखा जाने लगा है कि आजम खान सरीखे स्थापित भारतीय नेता और खान नामधारी स्थापित भारतीय ऐक्टर को संदेह के आधार पर विदेशों में अपमानित होना पडा अथवा स्पष्ट दिखता है कि भारत में किसी मुसलमान को हिन्दू मुहल्ले में किरायें का मकान आसानी से नहीं मिलता तो, मुसलमान किसी हिन्दू को अपने मुहल्ले में बसाने को तैयार होने पर भी जल्दी कोई हिन्दू वहाँ जाना नहीं चाहता।

भारत में बहुमत हिन्दुओं का औसत मुसलमान के प्रति जो दृष्टिकोण है वह इसी बात से आभाषित है कि हाषिम पुरा में पुलिस के लोगों ने दंगे के समय कई मुसलमानों को छोट छोट कर हत्याएँ की। पूरा देश समझता रहा कि मरने वाले निर्दोष मुसलमान थे। उनका दोष सिर्फ और सिर्फ यही था कि वे मुसलमान थे। फिर भी सभी संदेही न्यायालय से निर्दोष छूट गये। आजमखां सरीखे कुछ मुसलमानों ने दो चार दिन हल्ला किया परन्तु भारत के आम हिन्दू जनमानस में ऐसे अमानवीय अत्याचार के विरुद्ध भी कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। मेरे जैसे न्यायप्रिय धर्म निरपेक्ष व्यक्ति के मन में भी कोई विचार नहीं उठा। एक दसक पूर्व गुजरात में इसी तरह सैकड़ों निर्दोष मुसलमानों की हत्याएँ हुई थीं। हत्या में नरेन्द्र मोदी का हाथ था या नहीं यह आज तक स्पष्ट नहीं हुआ। किन्तु मोदी के इस अमानवीय नर संहार में शामिल होने के प्रचार मात्र ने मोदी को प्रधान मंत्री तक पहुँचा दिया। नरेन्द्र मोदी ने प्रधानमंत्री बनने के बाद संघ की नाराजगी मोल लेकर भी अधिकतम तटस्थ रहने का प्रयास किया। जब कुछ साम्प्रदायिक हिन्दुओं ने मुसलमानों को हिन्दू बनाने या इनका मताधिकार छीनने जैसे मुद्दे भी उठाये तो मोदी सरकार का उन्हें समर्थन नहीं मिला। बल्कि सरकार ने यहाँ तक कहा कि यदि अल्पसंख्यक सहमत हो तो सरकार कानून बनाकर धर्म परिवर्तन कराने पर रोक का कानून बनाने को या समान नागरिक संहिता तक को तैयार हैं। इतना स्पष्ट करने के बाद भी बहुसंख्यक मुसलमान अब भी मोदी पूर्व के जमाने की याद कर करके चार वर्ष और जोर आजमाइष करना चाहता है तो संदेह होता है कि न ये स्वयं षानित से रहेंगे न ही किसी को रहने देंगे। दुनिया के दारुल इस्लाम देशों में भी ये किसी विदेशी द्वारा लड़ाई में नहीं मारे जाते बल्कि आपस में ही कट मर रहे हैं क्योंकि ये सब क्षत्रिय प्रवृत्ति के हैं और कहावत है कि एक कम्बल पर पाँच साधु आराम से सो सकते हैं किन्तु एक राज्य में दो राजा बिना मरे मारे एक साथ षान्ति से नहीं रह सकते।

सवाल उठता है कि सभी मुसलमान तो एक जैसे नहीं। उनमें भी ऐसे लोगों की बड़ी आबादी है जो ऐसी साम्प्रदायिकता से दूर रहना चाहती है किन्तु ऐसा करते ही वे अपने मुसलमान साथियों का तो समर्थन और विष्वास खो देते हैं और हिन्दू उन पर विष्वास नहीं करते। मैंने अपने शहर में ऐसे लोगों की दुर्गति देखी है। हमारे विकास खंड में ही ओरंगा गाँव के एक धनीमानी मुसलमान नवीबवष रहते थे। धोती पहनते थे तथा पूर्ण विष्वासनीय धर्म निरपेक्ष। व्यवहार भी सबके साथ समान था। किन्तु ओरंगा से दस कि.मी. दूर सनावल में कुछ हिन्दू और कुछ मुसलमान के बीच साम्प्रदायिक विवाद बढ़ा तो बेचारे नबी बख्श भाई को भी मुसलमान मानने से हिन्दुओं के बहिस्कार का सामना करना पडा और कोई छूट नहीं मिली। जब ऐसी हालत है तो कोई मुसलमान ऐसा द्विपक्षीय खतरा क्यों उठाये? मुसलमानों के अन्ध समर्थक नेताओं को ऐसी स्थिति में बहुत लाभ हुआ। धर्म निरपेक्ष हिन्दू तो अनेक

आर्थिक या किसी अन्य आधार पर उनके साथ हैं ही साथ में मुसलमानों का एकजुट वोट उन्हें और निर्णायक स्थिति में पहुंचा देता है। ऐसी हालत में हमारे सामने एक समस्या है कि धर्म निरपेक्ष मुसलमान क्या करें?

भारत में हिन्दू बहुमत अपने नाम रखने में धार्मिक पहचान छोड़ रहा है। धीरे-धीरे हिन्दू राम प्याम हनुमान की जगह अंकित,विकास,आकाष जैसे नये नामों की ओर बढ़ रहा है। हिन्दुओं में चोटी,यज्ञोपवीत,धोती,तिलक आदि का उपयोग घट रहा है। जैराम,जैकृष्ण आदि अभिवादन भी घट कर नमस्ते में बदल रहे हैं। अब आप सूरत षकल से नहीं पहचान सकते कि व्यक्ति हिन्दू है या मुसलमान या इसाई। इसके लिए उसका नाम पूछना आवश्यक है। जो मुसलमान अपने नाम की पहचान बदल कर हिन्दी कर लें,दाढ़ी चोटी का भेद हटा दें,भाषा क्षेत्रीय कर लें,तो तात्कालिक पहचान का संकट कम हो सकता है। इसके साथ साथ मुसलमान पुक्रवार की दोपहर की नवाज के समय होने वाली संगठनात्मक बैठक में न शामिल हों,समान नागरिक संहिता का समर्थन कर दें,धर्म परिवर्तन कराने पर रोक से सहमत हो तो यह आपसी भेद खत्म हो सकता है। भारत का बहुमत हिन्दू संघ समर्थक नहीं हैं जबकि भारत का मुस्लिम बहुमत साम्प्रदायिक इस्लाम से या तो सहानुभूति रखता है या डरता है। ऐसी हालत में हिन्दू भी संघ के प्रभाव में आकर भारत को साम्प्रदायिक टकराव की दिशा में ले जावे इससे ज्यादा अच्छा होगा कि मुसलमानों का एक वर्ग सूफी सन्तों के समान पान्तिप्रिय हिन्दुओं के साथ भाई चारा बनाकर संघ परिवार को अलग थलग कर दें।

मैं समझता हूँ कि अब मोदी के आने के बाद सरसठ वर्षों से चली आ रही इस्लामी तिकड़म तो नहीं चल सकती। साम्प्रदायिक मुसलमानों तथा साम्प्रदायिक हिन्दुओं को यह छूट नहीं हो सकती कि वे भारत को अषान्त करें और यदि साम्प्रदायिक मुसलमानों ने अपनी आबादी विस्तार की कोषिष नहीं छोड़ी तो संभव है कि पान्तिप्रिय हिन्दू भी धीरे-धीरे संघ परिवार के साथ इकट्ठा हो जावे और ऐसा होना, न मुसलमानों के लिये अच्छा होगा न हिन्दुओं के लिये।

### कैसे-कैसे कानून

सम्भवतः भारत में एक बालश्रम को रोकने वाला कानून बना हुआ था जिसमें 14 वर्ष से कम उम्र का कोई बालक न परिवार में कोई श्रम का काम कर सकता था, न ही किसी अन्य के यहाँ। बुधवार को भारत सरकार ने इस कानून में संशोधन करते हुए यह निर्णय किया कि कोई भी बालक अपने परिवार के पारिवारिक कार्यों अथवा पारिवारिक व्यवसाय में सहायता कर सकता है। इस संशोधन से दुखी होकर दैनिक भास्कर के एक सम्पादक कल्पेय याग्निक ने सम्पादकीय लिखा कि “मंत्री बनने के बाद मोदी ने बच्चों से यह अपेक्षा की थी कि बच्चे खूब खेलें और खूब पसीना बहाएँ। आश्चर्य होता है कि वही मोदी सरकार अपने उन्हीं बच्चों को अपने पारिवारिक कार्यों में शामिल होने की अनुमति दे रही है। यथार्थ यह है कि यदि बच्चे परिवार के काम में हाथ बंटाने लगे तो उनका खेलना कूदना कम हो जायेगा। इसके पीछे श्रम मंत्रालय सिर्फ तीन तर्क दे सकता है, जिनके आधार पर उन्होंने ऐसा कानून बनवाने का प्रस्ताव पास करवा लिया। 1. देश में सामाजिक ढांचा ऐसा है कि परिवार के उधोग -धंधों में बच्चे शामिल किए ही जाते हैं। यदि उन्हें कानून से अनुमति नहीं दी गई तो सारा देश ही अपराधी माना जाएगा। 2.हमारे यहाँ परम्परा है कि पिता के दुकान, कारखानों में ही बच्चे काम सीखते हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी ऐसे ही उन्हें व्यावहारिक ज्ञान मिलता है। इसलिए कानून में भी इसकी छूट होनी चाहिए। 3. एक दो घंटे तो बच्चों की मदद ली ही जा सकती है। वैसे भी सरकार ने कहा है कि ऐसा करते समय पढ़ाई का नुकसान न हो! प्रश्न उठता है कि ऐसा कैसे नहीं होगा? होगा ही।

सबसे बड़ी चिंता है कि 14 साल से कम उम्र के बच्चों को,किसी भी हाल में हम काम -व्यापार-उधोग में लगाएंगे ही क्यों? उनका अपना कारोबार होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। बच्चों के लिए तो यह होना चाहिए कि वो अपनी दुकान देखने आएँ। अपने दोस्तों को दिखाएँ। खेलें-कुदें। और घर जाएँ। पिता की फौवटरी है तो वहाँ मैच रखें। पार्टी करें। पूरी क्लास को बुलाकर धमाचौकड़ी मचाएँ। काहे का कारोबार? कौन -सी ट्रेनिंग? सब झूठ है। इस तरह उन दुकानदारों को बहाना मिल जायेगा जो अभी अपने बच्चों पर कुछ घंटे दुकान देखने का नैसर्गिक अधिकार जता रहे हैं। शमत आएगी बच्चियों की। बेटी बचाओ नारे को प्रभावी ढंग से बेटी बढ़ाओ,बेटी पढ़ाओ में बदलने वाली सरकार क्या यह अनुमान नहीं लगा पा रही है कि इससे बच्चियों को हमेशा काम में लगाए रखने वालों को कानूनी कवच मिल जाएगा? परिवार के लोग कहेंगे कि बेटी स्कूल जाकर क्या करेगी,दुकान पर बैठो। या फिर स्कूल से आकर सीधे दुकान पर जाए। खेलने से क्या हो जाएगा? ऐसा दुरुपयोग होगा इस कानूनी रियासत का।तीनों तरह के सरकारी तर्क बेमानी हैं। पहली बात तो कोई भी माता पिता इतने छोटे बच्चों को कारोबार में लगाएंगे ही क्यों?और जो लगा रहे हैं,उन्हें रोकना है। न कि उनकी संख्या से डरकर उनके अपराध को लर्निंग, ट्रेनिंग, प्रैक्टिकल नॉलेज, एक्सपोजर जैसे मैनेजमेंट की किताबों वाले अभिजात्य षब्दों से महिमा मण्डित करना है। दूसरा तर्क भी कुतर्क है। तीसरा तर्क तो पूरी तरह अमान्य है। बच्चों को माता-पिता की मदद करनी ही चाहिए। घर पर। पढ़ कर। खेल कर। खाने में।खिलखिलाने में। न कि कुछ बेचने में।एक बड़ा खतरा यह भी तो होगा कि परम्परा के नाम पर फौवटरी,कंपनी,ऑफिस जाने वाले बच्चों का बचपन खत्म होगा और बच्चे प्रोफेशनल से दिखने लगेंगे।उधर गरीब बच्चा मान लेगा कि मुझे इसी दुकान में एड्रियां रगड़नी है। गरीब को और गरीब बनाने वाला कानून है यह। कहते ही हैं कि बच्चों को सिर्फ दो चीजें दें- जड़े और पंख। वे जमीन से जुड़े रहें। वे आकाश में उड़े। परिवार का हो या परायों का,कारोबार बच्चों से जितना दूर रहें। बच्चे उतने ही खुष,स्वतंत्र, उत्साही और उन्मुक्त होंगे। बालश्रम पाप है। सौ प्रतिषत बंद होना चाहिए इतना तो हम आने वाली पीढ़ियों के लिए कर ही सकते हैं। मोदी सरकार को प्रस्तावित कानून से इस बिन्दु को वापस लेना ही चाहिए।”

मेरे विचार में कल्पेय जी का पूरा कथन न सिर्फ निरर्थक है बल्कि उनकी नीयत पर संदेह भी पैदा करता है। लम्बे समय से यह प्रश्न विचारणीय रहा है कि अवयस्क बच्चे कितने प्रतिषत परिवार के हैं,कितने प्रतिषत समाज के अंग हैं,और कितने प्रतिषत राष्ट्र की सम्पत्ति। प्राचीन समय में तो बच्चे पूरी तरह परिवार के अंग माने जाते थे, किन्तु धीरे-धीरे वे समाज के अंग भी माने जाने लगे।स्वतंत्रता के बाद राष्ट्र इस बीच में घुस गया और ये बच्चे परिवार और समाज के साथ-साथ राष्ट्रीय सम्पत्ति भी माने जाने लगे। राजनेताओं की और नीयत खराब हुई तो उन लोगों ने चुपचाप कानून बनाकर यह घोषित कर लिया कि अवयस्क बच्चे न परिवार की सम्पत्ति हैं और न समाज की, बल्कि उन पर तो पूरा अधिकार राष्ट्र का ही है। मैं यह बता दूँ कि राष्ट्र षब्द स्वयं में एक धोखा देने वाला षब्द है और राष्ट्र का व्यावहारिक अर्थ संवैधानिक व्यवस्था तक ही सीमित होता है जो वास्तव में सरकार के स्वरूप में प्रकट होता है। अब नरेन्द्र मोदी सरकार ने आने के बाद जब थोड़ा सा यथार्थवादी दृष्टिकोण अपनाया और अवयस्क बच्चों के अधिकारों में परिवार को शामिल किया तो अवयस्क बच्चों के नाम पर बड़े-बड़े पुरस्कारों की दुकानदारी खड़ी करने वालों को कष्ट हुआ। मुझे तो यह देखकर आश्चर्य हुआ कि प्रतिष्ठित अखबार दैनिक भास्कर के सम्पादक कल्पेय याग्निक जी ने भी इस मुद्दे पर बालश्रम पर दुकानदारी खड़ी करने वालों के पक्ष में आवाज उठायी। बालक परिवार में रहकर यदि पारिवारिक काम में हाथ बटाता है तो यह तो किसी भी रूप में अपराध नहीं हो सकता। मैं तो

यहाँ तक मानता हूँ कि बालक परिवार की सहमति से अपनी पढ़ाई छोड़कर कहीं नौकरी भी करना चाहता है तो उसे स्वतंत्रता होनी चाहिए, किन्तु इतनी स्वतंत्रता की तो बात ही व्यर्थ है यहाँ तो परिवार के पारिवारिक कार्यों में हाथ बटाने तक पर प्रतिबंध लगाने की बात उठ रही है। अवयस्क बालक परिवार के अंग है और परिवार के वयस्क लोग उन बालकों के संरक्षक होते हैं,अभिभावक होते हैं। भारत में तो वयस्क लोग भी परिवार के अंग होते हैं जबकि हमारे ये बालश्रम के नाम पर दुकानदारी करने वाले लोग अवयस्क बालक तक को राष्ट्रीय सम्पत्ति घोषित कराना चाहते हैं। यदि कोई बालक परिवार से हटकर समाज के बीच या सरकार के संरक्षण में रहना चाहता है तो उस बालक को सरकार या समाज अपने संरक्षण में ले सकते हैं। इसी तरह परिवार भी मजबूरी में अथवा किसी अन्य कारण से अपने बालक को सरकार या समाज के स्वामित्व में छोड़ सकता है। किन्तु सरकार को यह अधिकार नहीं कि वह उक्त अवयस्क बालक, उसके माता-पिता और ग्राम सभा, इन तीनों की सहमति के बिना उक्त बालक को सीधा निर्देष्टित या आदेष्टित करे। मैं नहीं कह सकता कि भारत सरकार के इस सोच में नरेन्द्र मोदी का कितना योगदान है और कितना योगदान संघ परिवार का है। किन्तु चाहे योगदान संघ परिवार का हो अथवा मोदी जी का हो या किसी अन्य का हो उनके इस प्रयास की पूरी-पूरी प्रपंसा तथा कल्पेय याग्निक सरीखे विद्वानों के विचारों की सार्वजनिक निंदा करनी चाहिए।

## पत्रोत्तर

### 1 गोपाल कृष्ण गॉंधी जी का माननीय मोदी जी को खुला पत्र

इस पत्र के साथ मेरी बधाई भी है। जो मैं पूरी प्रामाणिकता से कह रहा हूँ,फिर भी यह मेरे लिए इतना आसान नहीं है। इसका कारण है,आज आप जहाँ पहुँचे हैं,उस पद पर आप पहुँचे,ऐसी इच्छा रखने वालों में से मैं नहीं हूँ। आप प्रधानमंत्री होंगे,इस कल्पना से हर्षित हुए करोड़ों जन हैं,लेकिन उनकी संख्या इनसे अधिक है जो कल्पना के कारण बहुत ही चिंतित हैं और यह बात अन्य किसी से अधिक,आप स्वयं जानते हैं।

जिस टेबल के पास जवाहरलाल बैठे थे,लालबहादुर शास्त्री बैठे थे और इंदिरा गॉंधी के आपात्काल के विरुद्ध चले उस ऐतिहासिक संघर्ष के उपरान्त एक अन्य गुजराती भाई मोरारजी देसाई बैठे थे,वैसे ही बाद में आपके गुरु अटलबिहारी जी भी बैठे थे,वहाँ आप न हों ऐसी इच्छा रखने वालों को भी यह सत्य स्वीकार करना पड़ रहा है कि अब आप वहाँ बैठे हैं।

आप इस उच्च पद के सम्मान योग्य है या नहीं,इस विषय में मेरे मन में जितने ही किन्तु परन्तु हों,लेकिन एक वंचित समाज और परिवार से आये और भारत के प्रधान बने आप जैसे व्यक्ति के प्रति मेरे मन में सम्मान है।सर्वसमभाव पर आधारित अपने संविधान के उद्देश्य की ही इससे पुष्टि होती है।

लेकिन,मोदी जी,मुझे यह बताना ही होगा कि आप देश का नेतृत्व कर रहे हैं,इस बात से करोड़ों भारतीय क्यों चिंतित हैं। 2014 के चुनाव में मतदाताओं ने प्रमुखता से 'मोदी के लिए' या 'मोदी के विरुद्ध' मतदान किया है। नरेन्द्र मोदी देश के सर्वोत्कृष्ट रक्षक देश का रखवाला हैं या नहीं, ऐसा मुद्दा था। भाजपा ने इतनी सीटें जीती, क्योंकि मतदान करने वालों में 31 प्रतिषत लोगों के मन में देश का सर्वोत्कृष्ट रक्षक ही नहीं देश का उद्धारक के रूप में आपने स्थान प्राप्त किया है। इसी के साथ यह भी ध्यान में लेना होगा कि 69 प्रतिषत लोगो ने आपको ' अपना रक्षक' के तौर पर मान्य नहीं किया है। श्री मोदी ही 'देश' इस संकल्पना के विषय में चिंतन करते समय भारत का संविधान महत्वपूर्ण हो जाता है। 'देश' इस कल्पना के विषय में आप फिर एक बार सोचें, ऐसा मैं आपसे तहेदिल से निवेदन करता हूँ। एकता और स्थिरता का जाप करते समय आप हमेशा सरदार वल्लभभाई पटेल का नाम और उनकी दृढ़ता का उल्लेख करते हैं। आपको पता है कि संविधान समिति के अल्पसंख्यक उप समिति का अध्यक्षपद सरदार महोदय के पास ही था। शिक्षा,संस्कृति,धर्म जैसी बातों में भारतीय संविधान, अल्पसंख्यकों को कुछ मौलिक आषासन देता है और उसके प्रति सरदार वल्लभ भाई पटेल और उस समिति के अन्य सदस्य विषेय रूप से राजकुमारी अमृत कौर के प्रति आभारी होना चाहिए। मोदी साहब, अल्पसंख्यकों के विषय में संविधान की दृष्टि और लक्ष्य पूरी तरह स्वीकार कीजिए। उसे बदलना अपनी सुविधानुसार स्वीकार करना उसे षक्तिहीन करना या उनमें तोड़फोड़ करना टालिए।

आप जब सभाओं में बोलते हो, तब वैविध्यपूर्ण भारत के सारे लोगों को साथ में ले जाने वाले एक जनतंत्रवादी नेता का भाषण सुनने की चाहत होती है, किसी सम्राट के जारी किये फतवों को सुनने की नहीं। मोदी साहब अल्पसंख्यकों को आष्वस्त कीजिए। उनके साथ आश्रय दाता जैसा व्यवहार मत कीजिए। विकास यह सुरक्षितता का पर्याय नहीं हो सकता। एक हाथ में कुरान और दुसरे में लॅपटॉप,ऐसा अर्थ व्यक्त करने वाला कुछ,आप बोले थे। लेकिन आँखों के सामने यह दृष्य लाकर भी उन्हें,अधिक सुरक्षित नहीं लगता। चूँकि एक दूसरा चित्र उन्हें भयभीत करता है। हिन्दु मनुष्य का स्वांग भरनेवाले एक गुंडे का जिसके हाथ में हिन्दु महाकाव्य की डिह्दिडी है तो दूसरे हाथ में त्रिपूल।

पुराने जमाने में ,मुख्याध्यापक नमक के घोल में भिगायी हुई एक छड़ी क्लास के कोने में हमेशा रखते थे। उनकी इच्छा हो तो वे किसी की भी चमड़ी उधेड सकते हैं,यह दिखाने के लिए। कुछ महिने पहले हुए मुजफ्फरनगर के दंगे(जिनमें 42 मुस्लिम और 20 हिन्दुओं की बलि चढ़ी और 50000 लोग बेघर हुए)यह वह नमकडुबाई छड़ी है। ध्यान में रखें,तुम्हारा भी यह हाल किया जाएगा। लेकिन करोड़ों लोगों तक इषारा पहुँच चुका है और वह रात दिन डर पैदा कर रहा है। वह डर दूर करना मोदी साहब ,आपही के हाथ में हैं। उसके लिए आवष्यक अधिकार और सत्ता आपके हाथ में हैं और यह अपेक्षा न्याय तथा बंधनकारक भी है। संकुचित और असहिष्णु मषवरों पर विजय पाकर आप वह डर दूर करेंगे,ऐसा विष्वास पैदा हो सके,ऐसी मेरी इच्छा है।

केवल मुस्लिमों के ही नहीं, भारत के सब धर्मीय अल्पसंख्यकों के दिलों पर जख्मों के निषान हैं। इसी तरह पश्चिम पंजाब से विस्थापित हुए हिन्दु और सिख और कश्मिरी पंडितों के दिलों पर हैं। सच्चे-झूठे उकसावे के कारण अचानक दंगा पुरु होने का डर रहता है और फिर प्रति षोध के लिए उसकी अधिक भयंकर पुनरावृत्ति होने का भी। इन सबमें खासतौर पर स्त्रियों को ही लक्ष्य बनाया जाता है। दलित और आदिवासी,खास तौर पर महिलाएँ जीवन में बार-बार मानभंग और षोषण झेलती रहती हैं। अपमान,भेदभाव,बलि का बकरा बनना, इनके कारण मन की लगातार नोंचनेवाली बेचैनी,उस मनुष्य की नागरिकता, नीतिधैर्य और मनुष्य होने का गौरव ही छीन लेती है। इन नोचने वाली बेचैनी की ओर ध्यान दीजिए, बोलने में भी और कृति करने में भी। उनका भरोसा जीतिए। यह आप कर सकेंगे। आप उनके हितों के प्रथम रक्षणकर्ता हैं,इस विषय में उन्हें आष्वस्त करें।

बहुविधतापूर्ण समाज में संबोधन देते समय एक सांचे में बद्ध भाषा बोलने का,अनेकविधता के सम्मुख पक्षपातपूर्ण षब्द उपयोग में लाने का,वैविध्य में खुलने वाली सद्भिरुचि के सामने अधिनायकवादी व्याकरण का उच्चार करने की उद्धतता कोई न करें। भारत यह एक विविधता से अलंकृत अरण्य है।

इस विविधता का पोषण करने वाली यहाँ की उपजाऊ मिट्टी को आप संभालिए। वहाँ एकरंगी, एकल संस्कृति का राजकीय एकेध्वरवाद मत लाइए। 370 से संबंधित भूमिका, समान नागरी कानून की माँग, अयोध्या में राम मंदिर, उत्तर तथा वायव्य दिशा से आये हिन्दु निर्वासित उसी तरह पूर्व और नैऋत्य दिशा से आये मुस्लिम निर्वासित इनके विषय में आप के नाम पर मिडिया द्वारा उधृत किये गये विधान, ये सब सुननेवाले के दिल में डर पैदा करते हैं, विष्वास नहीं। मोदी साहब, जनता के दिल में उभरा डर, प्रजासत्ताक का गुण नहीं हो सकता।

भारत के अल्पसंख्यक, भारत का एक टुकड़ा या अलग हिस्सा नहीं है। वे मुख्य धारा में घुलमिल गए हुए हैं। उन्हें अलग करने का प्रयत्न करने से क्या साध्य होने वाला है। मोदी साहब "भारत माता की जय" यह मान्य है ही, लेकिन नेताजी सुभाष बाबु की 'जय हिन्द' ललकार की आवश्यकता उससे अधिक है।

आपकी विजय ऐतिहासिक तो है ही। उसके बाद का आपका शासनकाल भी उतना ही ऐतिहासिक तथा दुनिया को कई आश्चर्यों द्वारा अचंभित करने वाला होने दो। हो सकता है, वे आश्चर्य तुम्हें समर्थन देने वालों की पसंद के न हों, लेकिन कई अन्धों को उनके प्रति आशा हो। आप काफी बुद्धिमान हो और मेरे जैसे की न माँगते हुए दी गयी लेकिन तटस्थ सलाह के प्रति आप रोष नहीं रखेंगे ऐसी आशा करता हूँ। आपको समर्थन देने वालों की प्रशंसा की आप अवश्य वापसी करें, लेकिन उसी के साथ-साथ जिन्होंने आपको समर्थन नहीं दिया है, उनका भरोसा प्राप्त कर लीजिए। अल्पसंख्यक आयोग की पुनर्चना करते समय विरोधी पक्षों से योग्य व्यक्तियों के नाम मंगवाइए और बिना किसी बदल के उन्हें स्वीकारिए। अनुसूचित जाति तथा भाषिक अल्पसंख्यक के लिए बनायी समितियों के प्रति भी वैसा ही रुख अपनाइए। आगे के प्रमुख जानकारी सीएजी, सीहिंसी इनका चयन करते समय, चयन समिति के अभासकीय सदस्यों की शिफारिसें अगर पक्षपातपूर्ण न होगी उनके मतानुसार कीजिए। आप मजबूत हैं और ऐसी जोखिम उठा सकते हैं।

मोदी साहब, भारत की आपकी विकास गति में दक्षिण की ओर से कमी अनुभव होती है। आपके विजय की हिन्दी भाषा भौगोलिक क्षेत्र में जो प्रतिमा है उसके कारण आगे उत्तर-दक्षिण में दूरी पैदा न हो। आप अपना एक उपप्रधानमंत्री दक्षिण से चुनिए। हो सकता है यह सियासी व्यक्ति न हो, लेकिन समाजशास्त्र, पर्यावरण, अर्थशास्त्र, लोक शास्त्र इनमें से किसी का विशेषज्ञ हो। नेहरु के मंत्रिपरिषद में षण्मुख चेट्टी, जॉन मथाई, सी.डी. देशमुख और के.एल. राव जैसे लोग थे। वे कॉंग्रेसी नहीं थे, इतना ही नहीं तो सियासी व्यक्ति भी नहीं थे। इंदिरा गॉंधी के पास एस.चन्द्रशेखर और व्ही.के.आर.व्ही.राव थे। ऐसी एक परंपरा है और उसे अच्छी भी कहा जा सकता है, कि नामनिर्दिष्ट सदस्यों को मंत्री न बनाया जाए। लेकिन अंततः आवश्यकता यह महत्वपूर्ण होती है। नामनिर्दिष्ट सदस्य रहे नुरुल हसन हमारे सर्वोत्तम शिक्षामंत्री थे।

साम्राज्यवाद के आदर्श और अनुकरणीय उदाहरण आपको पसंद आते हैं। आपके संघर्ष में आप महाराणा प्रताप रहो, लेकिन पाँतिकाल में अकबर बनों। आपके हृदय में आप भले ही सावरकर रहें, लेकिन विचारों में अम्बेडकर बनों। वैसी ही आवश्यकता हो तो आपका एनडीए संघ प्रशिक्षित हिन्दुत्ववादी का रहने दो, लेकिन फिर भी जिन 69 प्रतिषत लोगों ने आपको चुनाव नहीं किया, उनके लिए हिन्दुस्तान के वजीए-ए-आजम बने रहो।

**उत्तर:-** आप महात्मा गॉंधी के पौत्र हैं तथा आपका यह लेख आन्तरभारती नामक प्रतिष्ठित पत्रिका में छपा है। इसलिए इस लेख को मैंने विशेष महत्व दिया। लेख पढ़ने के बाद मुझे ऐसा लगा कि आपकी सोच में गॉंधी का प्रभाव पुन्य तथा पंडित नेहरु, भीमराव अम्बेडकर अथवा राजगोपालाचार्य का प्रभाव अधिक पड़ा। यह भी संभव है कि गॉंधी जी की मृत्यु के समय आपकी उम्र दो से तीन वर्ष ही थी तथा आप प्रत्यक्ष रूप से गॉंधी के सम्पर्क में ना आकर नेहरु, अम्बेडकर के प्रत्यक्ष सम्पर्क में आये इसलिए गॉंधी नाम होते हुए भी आपके विचारों में सब कुछ गॉंधी के विपरीत ही रहा। हो सकता है कि आप आई ए एस होने के कारण तथा सरकारी नौकरी के कारण गॉंधी विचारों को भूल गये हो। लेकिन मेरे विचार में आप गॉंधी को बिल्कूल नहीं समझ सके।

नरेन्द्र मोदी के आने के पूर्व भारत में उनहत्तर प्रतिषत आबादी की व्यवस्था चल रही थी जिसमें अल्पसंख्यक, आदिवासी, हरिजन, महिला आदि के नाम पर समाज को तोड़कर अपनी सरकार चलाने का प्रयत्न करने वालों का प्रभाव अधिक था। पहली बार उनहत्तर प्रतिषत की आबादी के उनहत्तर वर्ष बीतने के बाद इक्तीस प्रतिषत आबादी की सरकार बनी है। मैं मानता हूँ कि चुनावों के पूर्व तक आप भी उनहत्तर प्रतिषत के साथ रहे। आश्चर्य है कि आप सत्ता बदलते ही नरेन्द्र मोदी को उचित सलाह तक देने लगे। अच्छा होता कि आप उन उनहत्तर प्रतिषत जो उनहत्तर वर्षों से भारत की राजनैतिक व्यवस्था को चला रहे थे उनके सोच को ठीक करने की सलाह देते। आपके पूरे लेख में मुसलमान आदिवासी और हरिजन है अल्पसंख्यक है महिलाएँ हैं। संविधान है। आपके लेख में सब कुछ होते हुए भी समाज की चर्चा पुन्यवत है। गॉंधी वर्ग सषक्तिकरण के विरुद्ध वर्ग समन्वय के पक्षधर थे। गॉंधी वास्तव में हिन्दु थे। आपने वर्ग सषक्तिकरण का भरपूर समर्थन किया तथा आप मोदी से भी यही अपेक्षा रखते हैं कि वे वर्ग सषक्तिकरण की गांधी विरोधी राह पर चलें। आप निष्चिंत रहिये कि हम सब लोग मोदी को आपकी सलाह से नहीं चलने देने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ हैं। आपने मुसलमानों की बहुत चिंता की। सच्चाई यह है कि स्वतंत्रता के बाद आज तक भारत में सबसे ज्यादा मुसलमानों की चिंता की गई, यहाँ तक कि मुसलमानों को भारत का पहला नागरिक तक घोषित कर दिया। उस समय आपकी लेखनी चुप थी। आज मोदी सरकार यह घोषित कर रही है कि भारत में प्रत्येक व्यक्ति को समान अधिकार होंगे और धर्म जाति के आधार पर किसी समूह को विशेष अधिकार नहीं मिलेंगे तो आपको इसलिए कष्ट हो रहा है कि अल्पसंख्यकों को प्राप्त विशेष अधिकार कम होकर बराबर हो जायेंगे। आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूँ कि मुसलमान और सिख धर्म को समाज और राष्ट्र से भी उपर समझते हैं। यह भी सच है कि मुसलमान और सिख उसी तरह साम्प्रदायिक संगठन है जिस तरह विष्व हिन्दू परिषद, शिव सेना और आर. एस. एस. स्पष्ट दिखता है कि भारत के बहुमत हिन्दुओं का समर्थन कभी हिन्दू संगठन के प्रति नहीं रहा। बहुमत हिन्दुओं ने हमेशा ही धर्मों का साथ दिया, संगठनों का नहीं। मैं समझता हूँ कि ऐसे ही हिन्दुओं ने आप भी शामिल रहें हैं किन्तु क्या आप कह सकते हैं कि मुसलमान और सिखों का बहुमत भी कभी अपने संगठनात्मक ढाँचे के विपरीत गया है, या जा सकता है और यदि नहीं जा सकता है तो हम ऐसे साम्प्रदायिक तत्वों के मनसूबों को पूरा होने देने की गलती क्यों करें। हिन्दू गुलामी सह सकता है, अत्याचार सह सकता है किन्तु न अत्याचार कर सकता है न ही गुलाम बना सकता है इसका यह अर्थ नहीं कि हम अपनी शराफत के आधार पर गुलाम रहने और अत्याचार सहने की ही मुखता हमेशा करते रहें। मैं जानता हूँ और आप भी जानेंगे कि किसी वर्ग के नाम पर विशेष अधिकार देना हमेशा घातक होता है। प्रवृत्ति के नाम पर सुरक्षा दी जा सकती है किन्तु आपने वर्ग के नाम पर विशेष अधिकार देने की वकालत करके बहुत ही नीचे स्तर की सोच प्रदर्शित की है। आपने जिस भारतीय संविधान की दुहाई दी है वह संविधान ही तो समस्याओं की जड़ है। उस संविधान ने ही तो भारत को इतने वर्गों में बाँटकर इतनी समस्याएँ पैदा की हैं। स्वतंत्रता के पहले हम गरीब थे, गुलाम थे, पिछड़े थे, चरित्रवान थे, सच बोलते थे, हिंसा से दूरी बनाकर रखते थे। भारतीय संविधान में हमें आर्थिक दृष्टि से मजबूत किया लेकिन चरित्रपतन, भ्रष्टाचार, हिंसा की निरंतर बढ़ती प्रवृत्ति का दोष किसे दिया जाये? मैं तो समझता हूँ कि इन सारी बुराइयों की जड़ में भारतीय संविधान का

वह प्रावधान ही है जिसे हिन्दू नामधारी, अल्पसंख्यक प्रिय, नेताओं ने वर्ग सभितकरण के पक्ष में बनाया। यदि आज मोदी सरकार ऐसे संविधान में संशोधन करके समान नागरिक संहिता डाल दे तो मुझे लगता है कि वर्ग विद्वेष, वर्ग संघर्ष की जड़ों पर एक कुठाराघात होगा। मैं धारा 370 हटाने की जल्दी में नहीं हूँ। मेरे विचार से अभी ऐसा समय तब तक नहीं आया है जब तक कश्मीर के लोग इससे सहमत न हों। नरेन्द्र मोदी भी ऐसी जल्दी में नहीं हैं। आप को कहीं से ऐसा आभास हुआ कि मोदी और काम छोड़कर इस धारा 370 या राम मंदिर को प्राथमिकता देंगे और यदि कल्पना करिये कि उन्होंने ऐसा कर भी दिया तो भारत में कौन सा इतना बड़ा तुफान आ जायेगा? मैं समझता हूँ कि आप लोग नरेन्द्र मोदी के आने के बाद अपने को उपेक्षित महसूस कर रहे हैं। यह भी संभव है कि आप किसी कमेटी में न रखे जाने से इतने दुखी हो। भारत में चल रही खान्दानी शासन व्यवस्था के बारे में आपने कुछ नहीं सोचा। बस आपको तो केवल मंदिर और 370 जैसी धारायें ही आगे दिखीं। ऐसा लगा कि आप इन दोनों धाराओं के नाम पर मुसलमानों को भारत की मुख्यधारा से जुड़ने में यह कहकर रोकना चाहते हैं कि चिंता मत करो अभी तो मैं हूँ। आपने पूर्व और नैरित्य दिशा से आये मुस्लिम घुसपैठियों के प्रति बहुत चिंता दिखाई है। मैं समझता हूँ कि जो लोग भारत को दारुल इस्लाम बनाने के उद्देश्य से भारत में घुसकर अपनी कोषिष जारी रखना चाहते हैं ऐसे साम्प्रदायिक घुसपैठियों के मन में डर पैदा होना ही चाहिए। उनकी नीयत खराब है, उनकी नीतियाँ घातक हैं। ऐसे लोग जितनी जल्दी भारत से निकाल दिये जायें उतना ही अच्छा है। भारत में अल्पसंख्यक होने के नाम पर कोई अपने को अलग न समझे यह हमारी भावना है और यही मोदी जी की लाईन भी है। लेकिन तिकड़म करके अपनी संख्या विस्तार करना चाहेगा तो भारत ऐसा कभी होने देगा। वर्तमान में संघ और विष्व हिन्दू परिषद के प्रभाव से मोदी लगभग मुक्त हैं किन्तु यदि आप जैसे लोगों ने कुछ नयी परिस्थिति पैदा करके नरेन्द्र मोदी को साम्प्रदायिक आधार पर चुनौती देने की कोषिष की तो स्वाभाविक है कि मोदी को संघ की तरफ हाथ बढाना पड़ सकता है। हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आप गाँधी को एक बार फिर से समझेंगे। आप भारत को साम्प्रदायिक संगठनों का बेमेल देश बनाने की अपेक्षा एक धर्म निरपेक्ष भारत बनने की दिशा में आगे बढ़ने का मार्ग प्रशस्त करेंगे। आप भारत को महिला-पुरुष, गरीब-अमीर, किसान-मजदूर की भेदकारी नजर से देखना बंद करके समन्वयवादी नजर से देखना पुरु करेंगे। तो संभव है कि नरेन्द्र मोदी भी आपके इन विचारों को सद्भावनापूर्वक पढ़ने की पहल करें।

आपने हिन्दी भाषा का प्रश्न उठाकर भारत को उत्तर दक्षिण में बांटने की पहल की है। आपकी यह पहल आपकी नीयत पर ही प्रश्न खड़ा करती है। क्या आप नहीं जानते कि भाषा के नाम पर अंग्रेजी समर्थकों ने हिन्दी के साथ सौतेला व्यवहार किया? अब हिन्दी को समान सम्मान मिलना पुरु हुआ तो आपको अपनी श्रेष्ठता पर संकट दिखा और आपने उत्तर दक्षिण का मुद्दा उछाल दिया। आपसे निवेदन है कि कृपया ऐसा करना बन्द कर दीजिये। एकता में अनेकता का प्रवचन देने वालों को अनेकता में एकता का भी ख्याल करना चाहिये।

## 2 शिवदत्त बाघा, बांदा, उत्तर-प्रदेश ज्ञान तत्व-7880

ज्ञानतत्व 311, 16 अप्रैल से 30 तक मैं आपने सम्पादकीय में श्री केजरीवाल के सहयोगी श्री गोपाल राय का उल्लेख किया है प्रसंगवश। मैं इस नाम को लेकर भ्रमित हूँ। रालेगण सिद्धि में एक बार और श्री राय की चर्चा आई थी जब श्री वी के (पूर्वजनरल)ने उन्हें बोलने से मना कर दिया था और वह नाराज होकर अन्ना हजारे जी के गाँव से वापस हो गए थे। इस नाम को लेकर मेरे भ्रम की वजह यह है कि एक गोपाल राय लखनऊ के हैं जिन्होंने राष्ट्रवादी समाजवादी पार्टी बना रखी है और उसका अनुसांगिक संगठन मानव अधिकार खड़ा कर रखा है जिसका राष्ट्रीय अध्यक्ष (षायद ग्वालियर निवासी) सुधांशु द्विवेदी को बनाया हुआ है, जिन द्विवेदी जी ने कतिपय बेरोजगार युवकों के साथ एफ सी आई में सुपरवाइजर व कामगार के पदों पर नियुक्ति दिलाने के नाम पर सन् 2013 से 2014 के बीच एक बड़ी ठगी को अन्जाम दिया और युवाओं के रूपे हड़प गए। श्री द्विवेदी ने सम्पर्क साधकर कहा कि एफ सी आई में सुपरवाइजर पद के लिए इन्टर पास नौ लाख रुपया जमा करे। आधा पहले अदा करे आधा नियुक्ति के बाद। कामगार पद के लिए आठ लाख इच्छुक उपरोक्त षर्त के साथ रुपया जमा करे। द्विवेदी के इस झांसे में पचासो युवक फंस गए जिसमें तीन युवा मेरे जिले बाँदा से भी थे। रुपया जमा करने के बाद बाकायदा इन्टरव्यू साक्षात्कार के लिए युवाओं को बुलाया गया जिस के लिए दिल्ली का एक होटल फ़ेब्रु सुइट बुक कराया गया, वहाँ युवाओं को ठहराया गया और साक्षात्कार का ढोंग रचा गया। इस प्रकार तथा कथित मानव अधिकार के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री सुधांशु द्विवेदी बेरोजगार युवाओं जिन में से किसी ने अपना घर, किसी ने जेवर, खेत बँचकर नौकरी पाने की लालच में चार साढ़े चार लाख प्रति व्यक्ति के हिसाब से जमा किये थे का धन डकार गए और गरीब युवा ठगी का शिकार बन गए। उसी समय से जब भी गोपालराय का नाम कहीं आता है, मैं भ्रमित हो जाता हूँ कि श्री अरविंद के साथ जुड़े गोपाल राय व लखनऊ वाले गोपाल राय एक ही व्यक्ति है या अलग दो हैं।

आज जब फिर ज्ञानतत्व में एक बार श्री राय की चर्चा आई तो श्री राय के विषय में जानने की जिज्ञासा जोर पकड़ गयी। अक्सर ऐसी ठगी उच्च स्तर पर खूब फैल रही है। जो ठगी का शिकार बनाए जाते हैं वे मन मसोसकर रह जाते हैं क्योंकि उनकी इतनी पहुँच नहीं होती कि उनकी सुनवायी हो सके। इस कमजोरी, बेबसी का लाभ वी आई पी स्तर के टग खूब उठा रहे हैं और ऐसे ही लोग राजनीतिक स्तर पर सुशासन देने के दावे कर कर सत्ता सुख ठगों के हाथ पहुँच गयी है।

कांग्रेस पार्टी में एक वर्ग ऐसा भी था जो अंग्रेजी साम्राज्यवाद के अन्तर्गत ही भारतवासियों के लिए कुछ सहूलियतें तथा कमोवेश सत्ता में भागीदारी चाहता था। इसी पार्टी में दूसरा वर्ग पूर्णस्वराज का आकांक्षी था। आपका व्यवस्था परिवर्तन अभियान ऐसी ही बड़ी भ्रम की स्थिति पैदा कर रहा है। कभी आप मौजूदा सेविधान और उसके द्वारा स्थापित व्यवस्था से परिवार, गाँव, जिला के लिए संवैधानिक अधिकारों की माँग, पेंशन, राइट टू रिकॉल, लोक संसद जैसी माँग करते दिखाई देते हैं और कभी आप व्यवस्था व समाज को लेकर अपनी अवधारणा व व्याख्या प्रस्तुत कर परिवर्तन का विगुल फुंकते हुए बिल्कुल नए अवतार में दिखाई देते हैं। दो विपरीत दिशाओं में उर्जा के प्रवाह से कार्य अथवा उद्देश्य सिद्धि की सम्भावना कम होती है और साथी अथवा समर्थकों में भ्रम की स्थिति पैदा होती है। आखिर हम चाहते क्या हैं। यदि अभियान अथवा आन्दोलन का अभीष्ट परिवर्तन है, जेपी की तरह सम्पूर्ण क्रांति का मजाक नहीं, तो फिर संविधान और व्यवस्था नए रूप अथवा अवतार में होंगे यानी काया कल्प, काया पलट। फिर सब कुछ तदनुरूप नए सिरे से सृजित नई जरूरतों नई माँग के अनुसार। लोकपाल, लोकसंसद, राइट टू रिकॉल पेंशन, परिवार, गाँव, जनपदों का स्वरूप अधिकार और उनकी जरूरत पर उसी हिसाब से विचार होगा। यदि अभियान का उद्देश्य इसी संविधान व मौजूदा व्यवस्था के दायरे में संशोधनों से है तो अपनी मंषा साफ करनी चाहिए। फिर इन संशोधन कारी माँगों को लेकर आगे बढ़ना सही हो सकता है। अन्यथा आप-पार के लिए तो अलग अंदाज में विगुल फुंकना होगा। लोकसभा चुनाव 2014 के दरम्यान जिस मोदी को आप तानाशाह बता रहे थे और इसी अंदाज में आपके हल्के ही सही विरोधी स्वर भी उठ रहे थे, आज आप उसी मोदी के प्रशंसक खुद को कह रहे हैं। यह जानते समझते हुए भी कि मौजूदा व्यवस्था का कोई भी नायक लोकतंत्र के यथार्थ को उसके अर्थ को जमीन में उतारने में अब तक असफल ही है। यानी व्यवस्था या शासन सत्ता का कोई भी भागीरथी व्यवस्था की पुनीत गंगा को

धरती में उतारने में सफल नहीं दिख रहा फिर प्रशंसा कैसी पर इस पर भी प्रशंसक हैं आप। इस से स्पष्ट होता है कि परिवर्तन नहीं संघोधन के पक्ष में आप ज्यादा जोरदार ढंग से खड़े हैं। आप चिंतक हैं इसमें कोई षक नहीं। यह कोई प्रमाण पत्र जारी नहीं कर रहा आपके हक में केवल अपनी समझ कह रहा है। ज्ञानतत्व के पाठक इसी वजह से अपनी जिज्ञासाएँ और देश की राजनीति शासन उसकी कार्य पैली, आर्थिक, सामाजिक सरोकारों से जुड़े प्रश्न, समस्याएँ आदि आपके सम्मुख प्रस्तुत कर जानकारी चाहते रहते हैं। जनता व लोकतंत्र के साथ घात-प्रतिघात से जुड़ा इस व्यवस्था व उसकी नियति का एक पेंसा ही प्रश्न आज उठ खड़ा हुआ है जिसका समाधान आप से विनय पूर्वक अपेक्षित है।

**प्रश्न है !**—राजनीतिक दलों द्वारा खासकर भाजपा सरकार द्वारा आर्थिक व राजनैतिक षक्तियों की जुगलबंदी के लिए जैसी पृष्ठभूमि रची जा रही है यानी कि इन दोनों ताकतों को केन्द्रीकृत करने की योजना जिस चरण बद्ध तरीके से चलाई जा रही है उस से क्या? लोकतंत्र के लिए बड़ी मुष्किल खड़ी होने वाली है यानी कि लोकतंत्र सिकुड़ कर मनचाही दिशा की ओर चल पड़ेगा?

**उत्तर:—**श्री गोपालराय, जो वर्तमान में दिल्ली में परिवहन मंत्री हैं, वे 2007-2008 में मेरे साथ मेरे घर में ही पत्नी के साथ दिल्ली में रहकर करीब छः माह तक काम किये। वहीं धीरे-धीरे अरविन्द जी के साथ काम करने लगे ये गोपालराय जी रहने वाले तो लखनऊ के ही हैं किन्तु आपने उनके विषय में जो लिखा है यह बात अब तक मैंने कभी नहीं सुनी है और मैं नहीं कह सकता कि गवालियर के सुधांषु द्विवेदी के मित्र गोपालराय और मेरे मित्र गोपालराय एक ही हैं या अलग अलग। लखनऊ में छात्रसंघ के आन्दोलन में इन्हें पीठ में गोली लगी थी जो अब तक नहीं निकल पायी है। मेरे मित्र गोपाल राय साम्यवादी विचारों के रहें हैं तथा मैं कह सकता हूँ कि साम्यवादियों के अनेक गुण दोष इनमें पाये जाते हैं। किन्तु किसी को ठगी के दोष को मैं नहीं जानता।

अंग्रेजी साम्राज्यवाद के अन्तर्गत भी दो विचारधाराएँ थीं। हमारे व्यवस्थापरिवर्तन के प्रयास में भी दो विचारधाराएँ हैं फर्क ये है कि उस समय दो विचारधाराएँ अलग अलग समूहों की थीं और हमारे अन्दर दोनों विचारधाराएँ पूरे समूह में। व्यवस्था परिवर्तन के दो ही मार्ग हैं—1. संवैधानिक तथा 2. हिंसक। संवैधानिक मार्ग भी दो हैं—1. संसद में दो तिहाई बहुमत बनाकर वर्तमान संविधान में परिवर्तन करना। 2. वर्तमान संसद पर ही जनमत का दबाव बनाकर उन्हें संविधान संघोधन के लिए प्रेरित करना। इसी तरह हिंसा के भी दो मार्ग हैं। या तो टिनेषिया और मिश्र सरीखे एकाएक किसी तुफानी परिवर्तन की प्रतिक्षा करना अथवा लीबिया सरीखे हिंसक मार्गसे व्यवस्था परिवर्तन के प्रयास करना। मैं हिंसक मार्ग की आवश्यकता नहीं समझता और मेरे विचार में यदि इस मार्ग से सफलता भी मिलती हो तब भी वह सफलता अच्छे परिणाम नहीं दे सकेगी। इसलिए मेरे समक्ष व्यवस्था परिवर्तन का सिर्फ एक ही मार्ग है और वह है संवैधानिक। किन्तु मैं और मेरे साथी अब तक यह निष्कर्ष नहीं निकाल सकें हैं कि इन दोनों संवैधानिक मार्गों में से किस एक पर चला जावे। भूतकाल में हम दोनों मार्गों की अलग अलग असफलता देख भी चुके हैं और समझते भी हैं। जे पी आन्दोलन में मैं और मेरे अनेक साथी काफी लगे रहे। कुछ सफलता भी मिली। किन्तु कोई परिवर्तन नहीं हुआ। अन्ना हजारे ने दूसरा मार्ग चुना उसमें भी सफलता दिखी और परिणाम कुछ नहीं निकला। दोनों आन्दोलनों के परिणामों से अनुभव लेकर तथा किसी तीसरे मार्ग के अभाव में हम फिर से व्यवस्था परिवर्तन का यह मिला जुला प्रयास कर रहें हैं।

यह सही है कि हम चार बिन्दुओं पर जनमत जागरण कर रहें हैं। इनमें 1. परिवार, गोंव, जिला, को संवैधानिक अधिकार। 2. लोकसंसद 3. राईट टू रिकॉल 4. जीवन भत्ता। इन चारों बिन्दुओं में से पहले दो बिन्दु व्यवस्था परिवर्तन के हैं किन्तु यदि इन दो बिन्दुओं पर सफलता में विलम्ब हुआ तो साथ-साथ नीचे वाले दोनों बिन्दु पर भी काम चलता रहेगा। यद्यपि ये दोनों बिन्दु व्यवस्था में आंशिक सुधार के लिए ही हैं। यदि नीचे वाले बिन्दुओं पर कोई सफलता मिल भी जाती है तब भी हमारा आन्दोलन पहले और दूसरे बिन्दु के लिए जारी रहेगा। किन्तु यदि पहले और दूसरे बिन्दु पर सफलता मिल जाती है तब आन्दोलन बन्द किया जा सकता है। क्योंकि जब संविधान संघोधन के अधिकार में समाज की भूमिका बन जायेगी तब व्यवस्था परिवर्तन इतना कठिन नहीं रहेगा। व्यवस्था परिवर्तन का अर्थ कोई कायापलट सरीखा नहीं है। जो सब कुछ नये सिरे से बनायेगा। व्यवस्था परिवर्तन का उद्देश्य मात्र संवैधानिक व्यवस्था में परिवर्तन लाना है। न कि सामाजिक व्यवस्था में। हम अभी आर-पार का विगुल फूकने की परिस्थिति में नहीं हैं इसलिए हम उस दिशा में न सोच रहे हैं न सोचना चाहते हैं।

लोकसभा चुनाव के पूर्व मैंने मोदी को तानाशाह लिखा था और यह भी लिखा था कि भारत की भौतिक समस्याओं का समाधान तानाशाही से ही सम्भव है। भारत का वर्तमान लोकतंत्र समस्याओं में विस्तार ही करेगा और इसका समाधान या तो लोकस्वराज्य है अथवा तानाशाही। भारत की जनता ने लोकस्वराज्य के स्थान पर तानाशाही को पसन्द किया और जैसा कि मैंने पहले कहा था वह सब सच हो रहा है कि भारत की सभी भौतिक समस्याएँ नरेन्द्र मोदी के शासन काल में घट रही हैं। अब इस तानाशाही के विरुद्ध लोकस्वराज्य को खड़ा करना अधिक आसान है। अब यह सम्भव नहीं है कि मोदी के पूर्व के लोकतंत्र को फिर से मजबूत किया जाये क्योंकि वह लोकतंत्र न होकर कुछ खान्दानों की सत्ता थी। अब जो लोग मोदी की तानाशाही के विरुद्ध पुराने लोकतंत्र की बात कर रहें हैं वे गलत हैं। अब तो बात होनी चाहिए या तो नरेन्द्र मोदी के सुशासन की अथवा व्यवस्था परिवर्तन अभियान के स्वशासन की। मैं सुशासन की अपेक्षा स्वशासन का पक्षधर हूँ लेकिन स्वशासन और सुशासन के बीच कुशासन का पक्षधर नहीं।

आपने भाजपा सरकार के कार्य करने के तरीके और लोकतंत्र के भविष्य पर प्रश्न किया है। पहली बात तो यह कि भारत में दो विपरीत विचारधाराओं की मिलीजुली सरकार चल रही है जिसमें एक विचारधारा है संघ परिवार की। और दूसरी विचारधारा है नरेन्द्र मोदी की पहली विचारधारा उग्रवादी है साम्प्रदायिकता से ओतप्रोत है। बदला लेने की छटपटाहट है तथा साथ ही है सत्ता में सर्वोच्च भागीदारी की भुख। संघ परिवार के लोगो का एक घोषित चरित्र है कि वे आर्थिक मामलों में ईमानदार हैं। यही कारण है कि अब तक राजनीति में ईमानदारी के सवाल पर मोदी और संघ परिवार एक जुट है। अन्यथा इन दोनों विचारधाराओं के बीच उपर से नीचे तक टकराव है जो प्रत्यक्ष दिख भी रहा है। संघ परिवार के लोग कब मोदी का साथ छोड़कर अन्य लोगो का साथ देने लगेंगे यह निश्चित नहीं है। इसलिए नरेन्द्र मोदी की मजबूरी है कि वे इन साम्प्रदायिक तत्वों को नाराज न होने दें। आपने आर्थिक और राजनैतिक षक्तियों की जुगलबंदी की बात की यह बात पूरी तरह गलत है सच बात यह है कि नरेन्द्र मोदी आर्थिक षक्तियों को राजनैतिक षक्तियों से स्वतंत्र करके पूँजीवादी अर्थव्यवस्था की ओर तेजी से बढ़ रहें हैं जिस दिशा में मनमोहन सिंह धीरे-धीरे बढ़ रहे थे। इसका अर्थ है आर्थिक व्यवस्था पूरी तरह राजनैतिक व्यवस्था से दूर हटकर बाजार के हवाले हो जायेगी और परिणामस्वरूप राजनैतिक व्यवस्था और आर्थिक व्यवस्था के एक जगह इकट्ठा होने का भविष्य में भी कोई खतरा नहीं रहेगा। जब समाजवाद और राष्ट्रीयकरण के नाम पर आर्थिक नीतियाँ भी पूरी तरह राजनेताओं के पास बंधक रख दी गयी थी और नेता जब चाहते थे जैसा चाहते थे वैसा ही राजनीति और अर्थव्यवस्था को एक साथ मिलाकर

चलाते थे, अब वैसा नहीं हो रहा है और न भविष्य में हो सकेगा। आवश्यकता है कि जिस तरह आर्थिक शक्तियाँ राजनैतिक शक्तियों से अलग होकर पूँजीवाद के खेमे में जा रही हैं, वे और आगे जाकर समाज के हाथ में चली जायें अर्थात् परिवार, गाँव, जिला को राजनैतिक शक्तियों विकेंद्रित करने के साथ-साथ आर्थिक शक्तियाँ भी विकेंद्रित कर दी जायें। पूँजीवाद बुरा है यह कहकर किसी भी तरह पुरानी व्यवस्था को दुहराया नहीं जा सकता। मैं स्पष्ट हूँ कि यदि आप सरीखे विचारवान लोगो ने ठीक दिशा पकड़ी तो भविष्य में लोकतंत्र सिकुड़कर लोकस्वराज्य की दिशा में बढ़ेगा और भारत की वर्तमान शासन व्यवस्था को लोकस्वराज्य एक गंभीर चुनौती दे सकेगा। लोक तंत्र का अर्थ अव्यवस्था नहीं हो सकता। यदि लोकतंत्र लम्बे समय तक अव्यवस्था के रूप में बना रहेगा तो तानाशाही उसका स्वाभाविक परिणाम है। अतः अव्यवस्था तथा तानाशाही इन दोनों से बचने के लिये लोक स्वराज्य उचित मार्ग है।

आपने चुनाव पूर्व की मेरी सोच पर प्रश्न उठाया है जो पूरी तरह गलत है। मैं कोई भविष्य वक्ता नहीं हूँ। मेरी कहीं हुई कई बातें गलत भी हो सकती हैं किन्तु पिछले बीस-तीस वर्षों में मैंने जो भी भविष्यवाणी की हैं उनमें पायद ही कोई गलत निकली हो। सारे ज्ञानतत्व अब भी आप पढ़ सकते हैं। यदि कोई बात गलत होगी तो मुझे स्वीकार करने में कोई हिचक नहीं होगी। नरेन्द्र मोदी के विषय में भी मैं लगातार दस वर्षों से लिखता रहा हूँ। बीते चुनाव में मैंने चुनाव से करीब तीन चार माह पहले जो लेख लिखा था वह मैं अगले ज्ञान तत्व में प्रकाशित करूँगा। आशा है कि आपको विश्वास होगा कि उस लेख में की गई भविष्यवाणी और आज के कार्य में क्या अन्तर है। स्पष्ट है कि उस लेख में मोदी के संबंध में की गई भविष्यवाणी कि मोदी तानाशाह होंगे और समस्याओं का समाधान करेंगे। यह सच हुई है। अरविन्द केजरीवाल भी तानाशाही की तरफ बढ़ सकते हैं। यह बात भी अब सच हो रही है। मोदी और अरविन्द केजरीवाल में अंतर है कि मोदी संवैधानिक तरीके से तानाशाही की तरफ बढ़ रहे हैं तो अरविन्द केजरीवाल असंवैधानिक तरीके का प्रयोग करने के लिये उतावले हैं।

### 3 बनवारी जनसत्ता पंद्रह मई दो हजार पंद्रह से

यूरोपीय जाति के अग्रणी देश अमेरिका को आज आर्थिक और व्यापारिक चुनौती चीन से मिल रही है और राजनैतिक चुनौति अरबों से। अभी अरबों के पास अमेरिका को चुनौती देने लायक सामरिक शक्ति नहीं है, लेकिन यूरोप से भौगोलिक समीपता तथा शक्ति संतुलन के तीन शताब्दी बाद फिर से अपने पक्ष में करने की आकांक्षा और हिंसा को एक राजनैतिक हथियार के रूप में यूरोपीय लोगो की तरह ही निःसंकोच उपयोग करने की प्रवृत्ति उसकी चुनौती को गंभीर बना देती है। 11 सितम्बर 2001 को अमेरिका में आतंकी कार्रवायी करके उन्होंने इस राजनीतिक लड़ाई में अपने को यूरोपीय जाति के सामने खड़ा कर दिया है।

भारत अभी अपनी मूर्छा से नहीं निकला और उसके बौद्धिक जगत में पिछले डेढ़ हजार वर्ष के इतिहास को ठीक से समझने और उससे सीख लेने की आकांक्षा नहीं जगी। वरना यह देखा जा सकता है कि हमारे पश्चिम में बसी अरब और यूरोपीय जातियाँ किस तरह के रक्त रंजित इतिहास में उलझी रही हैं और उनका राजनीतिक मजहबी विस्तार कितनी बड़ी चुनौती है? दोनों के मजहबी विचारों की भित्ति और मूल प्रवृत्तियों में काफी समानता है। इसलिये एक दूसरे के प्रति अवमानना और घृणा भी उतनी ही अधिक है। पिछले 1400 वर्षों का इतिहास दोनों के आपसी संघर्ष और प्रतिद्वंद्विता का इतिहास रहा है, जिसकी आंच में भारत और चीन को भी झुलसना पड़ा। पिछले कुछ दसकों में अरबों की राजनीतिक चुनौती के प्रति अमेरिका और यूरोप में गंभीरता बढ़ी है। सद्दाम हुसैन और कज्जाफी को समाप्त करने में उन्होंने जो आक्रामकता दिखाई उससे उनकी गंभीरता का पता लगता है। अभी उनकी सबसे बड़ी चिन्ता इस्लाम के अनुयायियों की बढ़ती हुई जनसंख्या है। 2012 के आकड़ों के अनुसार विष्व में इसाइयों की संख्या दो अरब बीस करोड़ है यानि विष्व की आबादी का 31.5 प्रतिशत, जबकि इस्लाम को मानने वालों की संख्या एक अरब अस्सी करोड़ है। यानी 25.5 प्रतिशत। लेकिन इस्लाम के अनुयायियों की वृद्धि दर विष्व की जनसंख्या में वृद्धि दर से दुगुनी है और यूरोपीय शोधकर्ताओं के अनुसार यह दिशा बनी रही तो 2050 तक दुनिया में ईसाई मतावलंबियों की तुलना में इस्लाम को मानने वाले एक प्रतिशत अधिक होंगे। अमेरिका और यूरोप में अभी उनकी संख्या अधिक नहीं है, पर तेजी से बढ़ रही है और 2030 तक दुगुनी हो जायेगी। पिछली एक शताब्दी में यूरोपियों की दौलत जितनी तेजी से बढ़ी है उतनी ही तेजी से विष्व की मुसलिम जनसंख्या बढ़ी है। 1900 में वे विष्व की जनसंख्या का साढ़े बारह प्रतिशत थे और आज पचीस प्रतिशत से अधिक हैं। इस्लाम ने जो भाषा प्रचलित की उसने मानव जाति को दो वर्गों में बाट दिया। इस्लाम को मानने वाले मुसलिम और न मानने वाले काफिर। इस्लाम द्वारा शासित क्षेत्रों के इष्वरीय संदेश के गैर इस्लामी वाहक धिम्मी और अन्य हर्वी। इस्लाम के विस्तार के लिये किया गया सैनिक अभियान जेहाद और अन्य फितना।

रोम साम्राज्य के प्रभाव ने आसपास के क्षेत्र में जो शक्ति-क्षीणता और अराजकता पैदा की थी, उसी ने आसानी से अरबों को अपना विशाल राज्य खड़ा करने में सहायता दी। लेकिन इस्लाम के कारण इस पूरे क्षेत्र में जो गतिशीलता आई उसने ज्ञान विज्ञान और भौतिक सम्पन्नता के नये षिखर पैदा किये। 1700 तक यह क्षेत्र ज्ञान विज्ञान और भौतिक सम्पन्नता में यूरोप से आगे था। 1711 में स्पेन में जर्मन विसीगोथी के शासन से असंतुष्ट वर्गों ने मिश्र के शासकों को आमंत्रित किया था। बाद में सत्ता उन्मैया राजवंश के हाथ में गई। मुसलिम शासन में स्पेन ने बहुत प्रगति की। लेकिन यूरोप के लोग अपने क्षेत्रों के छिन जाने को चुप बैठ कर नहीं देखते रहे। येरुशलम को विधमियों के हाथ से छुड़ाने के पोप के आह्वान पर 1096 से 1291 तक क्रूसेड के रूप में चार अभियान हुए जिनमें फ्रांस और ब्रिटेन के राज भी सम्मिलित हुए, पर सफलता नहीं मिली। 1453 में उस्मानी तुर्कों ने कोन्स्टेन्टिनोपल को जीत कर बेजंती राज्य को समाप्त कर दिया। उस्मानी राज्य का विस्तार वियना के निकट तक हो गया था। 1700 तक इस पूरे क्षेत्र में इस्लाम के तीन बड़े राज्य थे उस्मानी सफाविद और मुगल।

चार्ल्स महान का उदय इस चुनौती के कारण 800 में हुआ जिसने यूरोप को राजनीतिक सूत्र में बांधा। उसे यूरोप का जनक कहा जाता है। यूरोप में चर्च और राज्य का विभाजन सेट पाल के समय ही हो गया था, पर इन दोनों में अपने प्रभाव के विस्तार के लिये संघर्ष छिड़ा रहा। कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट के बीच के संघर्ष, फ्रांस और ब्रिटेन के बीच सौ वर्षों तक चले युद्ध ने यूरोप की बरबादी अवष्य की, पर उसे एक नई आक्रामकता भी दी। 1492 में अरबों से व्यापारिक पहल छीनने के लिये ही यूरोप ने भारत और चीन पहुँचने का समुद्री मार्ग खोजने की कोषिष की थी और उसके हाथ अमेरिका और आस्ट्रेलिया जैसे विशाल क्षेत्र आ गये। मुसलमानों के प्रति उनकी नफरत इसी से समझी जा सकती है कि सात सौ वर्ष बाद जब स्पेन मुक्त हुआ तो वहाँ के तीन लाख मुसलमानों को प्रताड़ित करके निष्कासित कर दिया गया और हजारों अरबी पुस्तकें जला डाली गईं ताकि उनके शासन का नाम निषान न रहे। इष्वर के प्रति निष्ठा और भौतिक जीवन के संचालन को अलग अलग खानों में रख कर यूरोपीय

जाति ने तर्क आश्रित करके अपूर्व सामाजिक और भौतिक शक्ति अर्जित कर ली है। लेकिन उनके पड़ोस में रहने वाले मुसलिम समुदाय के लिये इसका कोई महत्व नहीं है। क्योंकि इस्लाम में अल्लाह के प्रति संपूर्ण निष्ठा ही सब कुछ है। इसलिये इस्लाम यूरोप की शक्ति को ललकारने के लिये सामरिक शक्ति के अभाव में वह आतंकवाद का सहारा ले रहा है। यूरोपीय राजनेता इसी आधार पर उसे विष्व शान्ति के लिये संकट बता रहे हैं पर उतना ही बड़ा संकट वे स्वयं भी हैं।

#### 4 सत्यपाल शर्मा, बरेली, ज्ञान तत्व—6894

**प्रश्न** —हिन्दू धर्म ग्रन्थों में गाय का बहुत महत्व है। हिन्दू संस्कृति में गंगा, गीता, गायत्री, गुरु और गाय का बहुत महत्व है। भारत कृषि प्रधान देश है और आज भी देश में अधिकांश छोटे किसान गौवंश पालते हैं और बैलों से खेती करते हैं। देश के गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने गौवध पर प्रतिबंध लगाने की बात कही थी। इस पर देश के कुछ मुस्लिम संगठन और वामपंथी विरोध कर रहे हैं और समाज का एक वर्ग गौवध निषेध को अपने मजहब पर अतिक्रमण मान रहा है। गोवध कृषि प्रधान भारतीय अर्थव्यवस्था का मूलाधार है और इसकी उपयोगिता बहुआयामी है। गौमुत्र में अनेक रोगों की कारगर औषधियाँ बनाई जा रही हैं। गाय का गोबर रोगाणुनाशक और विषाणुनाशक है। रासायनिक उर्वरकों के ज्यादा प्रयोग से जमीन वंजर हो रही है। ऐसे में जैविक खादों का महत्व ज्यादा है। देश में घेर से लेकर कछुआ आदि तक वन्य जीवों के षिकार करने वालों के खिलाफ दण्ड के कड़े कानून हैं वहीं गाय जैसे महत्वपूर्ण पशु के वध पर प्रतिबंध के खिलाफ विरोध करना क्रूर ओछी मानसिकता है। तुर्कों और अरबों के आक्रमण के बाद से गायों का वध प्रारम्भ हुआ। गाय बहुत उपयोगी तथा अर्थतन्त्र की रीढ़ है। भारत सरकार को कठोर कानून बनाकर गौवध पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए। इस विषय पर आपके ओजस्वी विचारों की प्रतीक्षा है।

**उत्तर:**—गाय एक उपयोगी पशु है इस बात से मैं सहमत हूँ किन्तु गाय हमारी धार्मिक श्रद्धा का केन्द्र है इसलिये गोवध रुके यह बात उचित नहीं। आप श्रद्धा के कारण गाय की उपयोगिता का वर्णन कर रहे हैं या उपयोगिता के आधार पर? गाय के प्रति आपकी श्रद्धा बनी है यह बात आपके पत्र से स्पष्ट नहीं।

गो हत्या रुकनी चाहिये इस बात से मैं सहमत हूँ किन्तु गोहत्या बन्दी के लिये कोई कानून बनाने के लिये मैं इतनी जल्दबाजी करने के पक्ष में नहीं हूँ। बहुत लोग गाय को माता समान मानते हैं तो क्या सम्पूर्ण भारत में गाय को माता मानने का कानून बना दें? गाय यदि हमारी माता है तो हम गाय की खरीद बिक्री कैसे करते हैं? इसलिये यथार्थ को भावनाओं के साथ जोड़कर कोई कानून बनाना इस्लामिक परंपरा है, हिन्दुत्व की नहीं। गाय एक उपयोगी पशु है यह बात बहुमत को समझ में आना चाहिये। इसके लिये आवश्यक है कि दूध घी गोबर का उपयोग बढ़े। साथ ही इनका मूल्य भी इतना बढ़े कि गोमांस के साथ प्रतिस्पर्धा कर सके।

आपने गाय, गंगा, गीता आदि के संरक्षण पर जोर दिया। यदि गाय, गीता, गंगा, गायत्री आदि बच भी गये और हिन्दुत्व नहीं बचा तो क्या समाधान होगा? आप हिन्दुत्व के पतन को न रोक कर इन्हें रोकने पर जोर क्यों देना चाहते हैं? आज हिन्दुत्व खतरों में है। संख्यात्मक रूप में भी और वैचारिक धरातल पर भी। आज भारत में भी इस्लाम लगातार अपनी सफल तिकड़मों के आधार पर संख्यात्मक धरातल पर हिन्दुत्व को पीछे करके आगे बढ़ रहा है। दूसरी ओर कट्टरपंथी हिन्दू हिन्दुत्व की सुरक्षा के लिये इस्लामिक तरीकों का अधिक प्रचार करने में लगे हैं। ये प्रवीण तो गड़िया अशोक सिंघल आदि लोग क्यों नहीं समान नागरिक संहिता, धर्म परिवर्तन कराने पर रोक जैसे मुद्दे आगे कर रहे? ये लोग क्यों नहीं हिन्दू कोड बिल की समाप्ति अथवा सब पर समान रूप से प्रभावी करने की बात कर रहे? अनेक मूर्ख तो पाकिस्तान तक को हिन्दू बना लेने की बकवास कर रहे हैं। आपका कर्तव्य है कि मोदी जी के आने के बाद जो साम्प्रदायिक हिन्दू मुसलमानों के खिलाफ जहरीली भाषा बोल रहे हैं वे ही हिन्दुत्व के लिये षत्रुवत काम कर रहे हैं, ऐसे विचार को स्थापित करे। मेरा आपसे निवेदन है कि ऐसे तत्वों को आप समझाने की कृपा करें कि वे अपनी उछलकूद को समेट कर समान नागरिक संहिता, धर्म परिवर्तन कराने पर रोक तथा हिन्दू कोड बिल के समानीकरण, समाजीकरण पर ध्यान केन्द्रित करें।